**बिहार सरकार**

**परिवहन विभाग**

**—:: अधिसूचना ::—**

**पटना, दिनांक— 07/08/2024**

पत्रांक—03/परि0 (योजना)—14—14/2018 (पार्ट—I) 9613 परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0—5732, दिनांक—05.09.2018 द्वारा अधिसूचित तथा अधिसूचना सं0—6480 दिनांक—09.09.2020 द्वारा यथा संशोधित मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित थी। इस योजना के तहत राज्य के सभी पंचायतों में विधिवत चयनित 7 लाभुकों को अनुमान्य वाहन की खरीद पर, खरीद मूल्य का 50% अथवा अधिकतम 1.00 (एक) लाख रूपए का अनुदान का प्रावधान है।

2. उक्त योजना के अंतर्गत ही अधिसूचना सं0—6297, दिनांक—08.08.2019 के द्वारा लाभुकों को ई—रिक्शा के क्रय की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% अथवा अधिकतम 70,000/— (सत्तर हजार) रू0 अनुदान का प्रावधान है।

3. कोविड—19 के समय संक्रमित व्यक्तियों के ईलाज हेतु उन्हें स्वास्थ्य केन्द्रों तक समुचित परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिसूचना सं0—2740, दिनांक—11.05.2021 द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत प्रति प्रखंड अधिकतम 02 लाभुकों को एम्बुलेंस के क्रय पर क्रय मूल का 50% परन्तु अधिकतम 2.00 लाख (दो लाख) रूपये अनुदान का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

4. उक्त योजना के अंतर्गत सामान्य वाहन/ई—रिक्शा/एम्बुलेंस क्रय हेतु **निर्धारित लक्ष्य 57551 के विरूद्ध 45000 लक्ष्य की प्राप्ति हुई है तथा लाभुकों को अनुदान का भुगतान किया जा चुका है। स्वीकृत शेष राशि से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी।**

5. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत शेष 12500 लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2025—26 तक विस्तारित करने एवं शेष लक्ष्य की प्राप्ति पूर्व से स्वीकृत इस योजना की राशि से ही किए जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक—06.08.2024 को हुयी बैठक में मद संख्या—37 पर दी गयी है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

7/8

**(संजय कुमार अग्रवाल),**
**सरकार के सचिव**

ज्ञापांकः–03/परि0 (योजना)–14–14/2018 (पार्ट–I) 9613 पटना, दिनांक– 05/08/2024

प्रतिलिपिः– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/ माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी अनुमंडलाधिकारी/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/8

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः– 9613 पटना, दिनांक– 05/08/2024

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

7/8

सरकार के सचिव।